



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235394
CG-DL-E-27042022-235394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1867]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944

No. 1867]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

का.आ. 1960(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 1, 3 फेनिलेडियमिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन प्रवृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।
- प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- भारतीय मानक ब्यूरो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
1, 3 फेनिलेडियमिन	आईएस 17450: 2020	1,3 फेनिलेडियमिन — विशिष्टता

[फा. सं. सी-II-13012/01/2021-रसायन II]

एन. के. संतोषी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2022

S.O. 1960(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-

1. **Short title, commencement and application.** –(1) This order may be called the 1, 3 Phenylenediamine (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the one hundred and eighty- first day from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such good or articles meant for export.

2. **Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.**- Goods or articles specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standard as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. **Certification and enforcement authority.**- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified column (1) of the said Table.

4. **Penalty for contravention.** - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
1, 3 Phenylenediamine	IS 17450 : 2020	1,3 Phenylenediamine — Specification

[F. No. C-II-13012/01/2021-Chem. II]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General